

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रतिष्ठापक से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 1993/भाद्र 22, 1915  
No. 537] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 1993/BHADRA 22, 1915

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1993

का.जा. 677 (अ) :—परिसंकेतमय सूक्ष्मजीवों/श्रानुवैशिक रूप से तैयार जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात तथा भंडारण के संबंध में दिनांक 5 दिसम्बर, 1989 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2 खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित नियमावली के नियम 1 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रथम अक्षर, 1993 को उपर्युक्त नियमों के लागू होने की तारीख के रूप में अधिसूचित करती है।

[तथ्या 16 (16)/93 एच एस एम डी]  
जे. सी. काला, संयुक्त सचिव

2042 G1/93.

(1)

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FOREST

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 1993

S.O. 677(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 1 of the Rules for Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro Organisms/Genetically Engineered Organisms or Cells, published in the Gazette of India Extraordinary—Part II—Section 3—Sub-section (i), dated December 5, 1989, the Central Government hereby notify the 1st day of October, 1993 as the date on which the said rules shall come into operation.

[No. 16(16)93-HSMD]

J. C. KALA, Jt. Secy.